न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 279/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/131**
दायर दिनांक :– **17.10.2023** **निर्णय दिनांक :–** **15.10.2025**

1. अशोक कुमार पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी थोरियासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. सोमराज पुत्र रतनाराम जाति विश्नोई निवासी थोरियासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. रतनाराम पुत्र खमुराम जाति विश्नोई निवासी थोरियासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थीगण
2. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधि. प्रति.सं.1

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 88, 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की पैतृक खातेदारी खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 159/3 रकबा 0.4775 हैक्टेयर सरहद मौजा श्रीसुरपुरा पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप तथा खसरा नम्बर 478/4 रकबा 3.7893 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483/3 रकबा 3.8121 हैक्टेयर सरहद थोरियासर पटवार क्षेत्र श्रीसुरपुरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा भूमि बंट में आती है। रतनाराम पुत्र खमूराम के हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है इसी अनुसार ही प्रार्थीगण मौके पर काबिज है। उक्त भूमि वर्तामन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि का बेचान करने पर उतारू है जबकि उक्त भूमि पैतृक सम्पति होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है और प्रार्थीगण का अपने पैतृक संयुक्त रूप से 2/3 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में अपने पैतृक 2/3 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने को उतारू है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने उक्त नापाक इरादों में सफल होने हेतु लगातार प्रयत्नशील है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपेन नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों का कुठाराघात होगा और प्रार्थीगण को अपूरणीय ख्ज्ञति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण असमर्थ व निर्धन है जबकि अप्रार्थी

15/10/25

संख्या 1 साधन सम्पन्न एंव प्रभावशाली व्यक्ति है जिनका सामना प्रार्थीगण नहीं कर सकते है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये कानून रोका जाना अतिआवश्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में और अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि ग्राम श्रीसुरपुरा के खसरा नम्बर 159/3 रकबा 04775 हैक्टेयर तथा ग्राम थोरियासर के खसरा नम्बर 478/4 रकबा 3.7893 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483/3 रकबा 3.8121 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 2/3 हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम श्रीसुरपुरा के खाता संख्या 111 सम्वत् 2075–78 एवं ग्राम थोरियासर के खाता संख्या 101 सम्वत् 2075–2078 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगस्त भूमि रतनाराम पुत्र खमूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिये डिक्री नामान्तरकरण संख्या 28 के दर्ज की गयी। प्रार्थीगण रतनाराम के जायन्दा वारिसान है। प्रार्थीगण और अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्से का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त तय किया जाना है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्से को लेकर विवाद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पैतृक हिस्से को लेकर विवाद के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना–पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगस्त भूमि रतनाराम पुत्र खमूराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति होने से अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिये डिक्री

15/10/22

नामान्तरकरण संख्या 28 के दर्ज की गयी। प्रार्थीगण रतनाराम के जायन्दा वारिसान है। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम श्रीसुरपुरा के खसरा नम्बर 159/3 रकबा 04775 हैक्टेयर तथा ग्राम थोरियासर के खसरा नम्बर 478/4 रकबा 3.7893 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 483/3 रकबा 3.8121 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के पैतृक हक व हिस्सा तक ता फैसला दावा दखलअंदाजी न करे व राजस्व अभिलेख एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

15/10/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)